

प्रश्न क्र. 1218]  
स  
मंत्रालय

15/4835/16/1/59

दिनांक 24/06/2017


आयुक्त आयुष  
संचालनालय आयुष

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जबलपुर में पदस्थ डॉ. रवि कुमार श्रीवास्तव एवं डॉ. निधि श्रीवास्तव की नियुक्ति की जांच के संबंध में।  
आपका पत्र क्रमांक एफ/163/17/1/शिका/ भोपाल दिनांक 11/5/17

उपरोक्त विषयांकित शिकायतों की जांच हेतु निम्नानुसार जांच समिति का किया जाता है :-

श्री पी.आर. कतरोलिया उप सचिव आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल	अध्यक्ष
डॉ. सतीश चन्द्र शर्मा, संयुक्त संचालक, संचालनालय आयुष	सदस्य
डॉ. सुनील कुमार कुलश्रेष्ठ, संभागीय आयुष अधिकारी भोपाल	सदस्य

कृपया शिकायत की जांच दिनांक 18.07.17 तक जांच प्रतिवेदन शासन को सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

  
(सुनील मड़ावी)  
अवर सचिव

म.प्र.शासन, आयुष विभाग

**संचालनालय भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी**  
(अपर बेसमेंट "बी" विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल - 462004)

**मध्यप्रदेश**  
**विज्ञापन क्रमांक :.....**

शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल, बुरहानपुर, खालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन के लिए आयुर्वेद विषय के पदों पर नियमित एवं संविदा सेवा में प्रोफेसर, रीडर पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन भारतीय नागरिक और मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्य सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों से शासकीय स्वशासी महाविद्यालयों में स्वशासी सेवाएं

1. प्रोफेसर एवं रीडर श्रेणियों में नियमित वेतनमान स्तर 15600-39100 + Grade Pay के पदों पर नियुक्ति हेतु इन पदों के लिए सी.जी.आर्.एम. द्वारा निर्धारित अर्हता फारित करने वाले योग्य अर्हियों से आमंत्रण पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

2. प्रोफेसर, रीडर श्रेणियों में आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षित वर्ग के अर्हियों उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अनारक्षित वर्ग के अर्हियों को संविदा पर प्रोफेसर एवं रीडर पद पर नियुक्ति किया जाएगा। अतः प्रदेश के महाविद्यालयों में संविदा पर सेवाएं प्रदान करने हेतु उत्तुक्त अर्हियों द्वारा संविदा संबंधी विकल्प प्रस्तुत करने पर उनके आवेदन को संविदा सेवा के लिए भी स्वीकार किया जाएगा। इस संबंध में साक्षात्कार के समय भी विकल्प प्रस्तुत किया जा सकेगा।

3. संविदा सेवा पर नियुक्त शिक्षकों को संविदा पर एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा।

4. संविदा सेवा पर नियुक्त शिक्षकों को निरिधता संविदा सहाय प्रतिमाह प्रदान की जाएगी।  
प्रोफेसर Rs. 27100  
रीडर Rs. 27000

आवेदन पत्र "आयुष्मा, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी न.प्र. सतपुड़ा नवन भोपाल" के नाम, निर्धारित प्रारूप में भेजना होगा। प्रत्येक विषय व पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 07 अप्रैल 2010 को, सायंकाल 05 बजे तक आवेदन पत्र संचालनालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी न.प्र. सतपुड़ा नवन भोपाल में पहुंचना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के परवात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

**प्रोफेसर पद**

रचना शरीर	01
क्रिया शरीर	01
स्वस्थ्य पत्र	02
सोम निदान	02
दृष्यगण	01
काय चिकित्सा	01
प्रसूति सत्र	02
शाल्यसत्र	02
शास्त्राण्य सत्र	01
पंचकर्म	02
कुल	15

**रीडर पद**

विषय	पद संख्या
संहिता, सिद्धांत	01 PG पाठ्यक्रम हेतु
रचना शरीर	01+01 PG
सोम निदान	02
क्रिया शरीर	01
स्वस्थसत्र	01
अनादसत्र	01
काय चिकित्सा	2+1 PG
प्रसूति सत्र	1
शाल्य सत्र	1
शास्त्राण्य सत्र	1
पंचकर्म	2
कुल	13+3 PG = 16

- उपरोक्त सभी पद हेतु सभी श्रेणियों के आवेदक भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद नई दिल्ली (CCIM) द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
- इन पदों में न.प्र. शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित प्रतिशत में पद आरक्षित रहेगा। आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार जिस पद हेतु योग्य होगा, यथन समिति द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत चुनाव यथन किया जा सकेगा। आरक्षित वर्ग (SC, ST) के अर्हियों उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संविदा पर अनारक्षित वर्ग से पद पूर्ति की जाएगी।
- उपरोक्त उल्लेखित पदों की सख्या परिवर्तनीय है।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का लाभ केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आरक्षित है। अन्य प्रदेश के सभी वर्गों के आवेदकों को सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार माना जाएगा।
- सभी श्रेणियों में महिला आरक्षण, नियमानुसार देया होगा।
- विनाशित पदों के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद नई दिल्ली (CCIM) द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार आवेदक स्वयं की जिस विषय व पद के लिए योग्य समझता है, उसे उन प्रत्येक विषय के पदों के लिए पृथक-पृथक आवेदन करना होगा।
- संविदा पर सेवाएं प्रदाय करने हेतु उत्तुक्त अर्हियों द्वारा संविदा संबंधी विकल्प प्रस्तुत करने पर उनके आवेदन को संविदा सेवा के लिए भी स्वीकार किया जाएगा।
- यह नियुक्तियों किन्हीं भी पक्षों को और से एक माह के नोटिस अथवा उत्तुक्त त्वान पर एक माह के वेतन का नुमाना कर कभी भी सनसरा की जा सकती है।

**अर्हियार्थ अर्हता-**

1. प्रोफेसर	अभिलेखन आयु 45 वर्ष निर्धारित है। इसके अलावा न.प्र. शासन द्वारा अभिलेखन आयु सीमा के लिए जिन विभिन्न वर्गों को जित्त सीमा तक छूट का प्रदयान किया गया है, उन वर्गों के लिए उस छूट का लाभ देय होगा। संविदा सेवा हेतु अभिलेखन आयु 59 वर्ष निर्धारित है।	(क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि या उत्तुक्त स्नातक उपाधि जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के अधीन मान्य हो। (ख) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के अधीन मान्य हो। (ग) संस्कृत भाषा का ज्ञान होना चाहिए। (घ) कुल 10 वर्ष का संबंधित विषय विभाग में अध्यापन अनुभव जितने पांच वर्ष का अनुभव संबंधित विषय विभाग में रीडर/असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में या संबंधित विषय विभाग में 10 वर्ष का व्याख्याता के रूप में अध्यापन अनुभव जहाँ पर रीडर/असिस्टेंट प्रोफेसर का पद नहीं हो। स्नातकोत्तर स्नातक हेतु कुल 13 वर्ष का संबंधित विषय विभाग में अध्यापन अनुभव जितने पांच वर्ष का अनुभव संबंधित विषय विभाग के पी.जी. फरवकन में रीडर के रूप में आरक्षण है। बोचनीय वेतन एवं प्रस्ताव का भीतिक प्रभावना।
2. रीडर	अभिलेखन आयु 40 वर्ष निर्धारित है। इसके अलावा न.प्र. शासन द्वारा अभिलेखन आयु सीमा के लिए जिन	(क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि या उत्तुक्त स्नातक उपाधि जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के अधीन मान्य हो।

सतीश शर्मा  
संचालक

यह एक सामान्य प्रश्न है।  
संविदा के तहत अनुसूचित जाति के  
जन 59 वर्ष की आयु तक है।

यह एक सामान्य प्रश्न है।  
कुल 93 वर्ष का अनुसूचित जाति के  
जन 59 वर्ष की आयु तक है।  
यह एक सामान्य प्रश्न है।  
कुल 93 वर्ष का अनुसूचित जाति के  
जन 59 वर्ष की आयु तक है।

- नोट
1. विनाशित दिनों के शिक्षक वर्ग के पदों हेतु उनके एलाइज्ड विषय को, लाइकोल्टर अर्थात् मान्य होगी।
  2. इच्छा अनुसार
  3. उच्च शिक्षा
  4. पर्याय विज्ञान/संविदा/इतिहास
  5. शोध विज्ञान
  6. रचना शरीर/क्रिया शरीर
  7. शास्त्र
  8. निजी प्रेषित को अनुसूचित तत्कालीन शासकीय नौकरियों के अनुसार होंगे। नॉन-प्रेवेंटिड एलाउन्स (एन.पी.ए.) न.प्र. राज्य शासन के नियमानुसार देय होगा।
  9. पुराना तथा तत्संबंधी, लान मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार संचालित होंगे।
  10. सेवा की अन्य शर्तें बड़ी रहेंगी जो नियुक्ति आदेश में उल्लिखित होंगी। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश, चयन समिति की अनुसूचा पर संबंधित स्वशासी महाविद्यालय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा जारी किए जाएंगे।
  11. आवेदन शुल्क - मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो कि मध्य प्रदेश के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में आते हैं, के लिए जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने पर रुपये 500/- तथा शेष सभी श्रेणी के आवेदकों के लिए रुपये 1000/- है। उपरोक्त शुल्क केवल राष्ट्रीयकृत बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा जो कि आयुक्त भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी मध्य प्रदेश के नाम से बनवाकर भेजना आवश्यक है। प्राप्त आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।
  12. यात्रा व्यय - साक्षात्कार के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय नहीं दिया जाएगा।
  13. किसी भी आवेदन पत्र/सम्पूर्ण आवेदन को बिना कोई कारण बताए अस्वीकृत करने का अधिकार को पूर्ण अधिकार होगा।
  14. आवेदन पत्र दिए गए निर्धारित प्रारूप के अनुसार भेजे।
  15. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी म.प्र. मोपाल का निर्णय मान्य होगा।
  16. विज्ञापन तथा आवेदन पत्र का प्रारूप संचालनालय भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी म.प्र. मोपाल की वेबसाइट [www.mp.gov.in/dismh](http://www.mp.gov.in/dismh) पर भी उपलब्ध रहेगा।

**आवेदन पत्र का प्रारूप**

आयुक्त  
भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी  
मध्य प्रदेश, मोपाल

अभिप्रेत  
पासपोर्ट  
साईज फोटो

पंक्ति:  
आयुक्त  
भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी  
अपार बेसमेंट, विंग - बी, सतपुरा भवन,  
मोपाल - 462004 (म.प्र.)

- विषय - विषय के पद पर नियमित/
- संविदा/ नियमित एवं संविदा दोनों सेवाओं पर चयन हेतु आवेदन पत्र।
1. विज्ञापन क्रमांक जो दिनांक
  2. आवेदित पद का नाम संवर्ग
  3. महाविद्यालय प्रायनिकता बैंक ड्राफ्ट की राशि बैंक का नाम शाखा
  4. आवेदक का नाम श्री/श्रीमती/ कु. दिनांक
  5. आवेदक (सिंह) पुत्र/ महिला
  6. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित)
  7. माता का नाम (उपनाम सहित)
  8. वर्तमान निवास स्थान का पता (दूरभाष नं. एस.टी.डी. कोड सहित)
  9. स्थाई पता (दूरभाष नं. एस.टी.डी. कोड सहित)
  10. जन्मतिथि (अंकों में) :- दिनांक माह वर्ष
  11. दिनांक को आवेदक की आयु वर्ष माह दिन
  12. जन्म स्थान की जानकारी शहर जिला राज्य
  13. श्रेणी/संवर्ग - अनारक्षित/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.त. (अरक्षित वर्ग का होने की स्थिति में स्थाई जाति, उपजाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
  14. शैक्षणिक अर्हताएँ :-

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था का नाम	बोर्ड/विरविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	प्राप्तांक/ प्रतिशत	राज्य या वि. वि. स्तरीय खेलकूद एन.सी.सी. प्रमाण पत्र वी/ ली सर्टिफिकेट
1.	दत्तजी बोर्ड						
2.	भारतीय बोर्ड						
3.	बी.ए.एन. एस. प्रथम से अंतिम व्यावसायिक						
4.	एन.डी.						

15. संबंधित अर्हता का विवरण (अभिप्रेत प्रमाण संलग्न करें)
16. अनुभव वर्ष विषय में माह दिन का अध्यापन
17. विरविद्यालय बोर्ड 28 / शासकीय महाविद्यालय में पद में चयन का दिनांक (प्रमाण पत्र की सत्यपि छायाप्रति संलग्न करें)

17. संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण

- (1) मैं केवल नियमित सेवा हेतु आवेदन कर रहा/रही हूँ।
- (2) मेरा आवेदन नियमित एवं संविदा दोनों ही सेवाओं के लिए स्वीकार किया जाए। यदि सहायक ने मुझे अरक्षित पद के विरुद्ध संविदा सेवा के लिए चयनित किया जाता है तो मुझे आवेदित पद पर संविदा सेवा स्वीकार होगी। (जो आवश्यक न हो उसे काट दिया जावे)

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि जो जानकारी मैंने इसमें दी गई है वह पूर्ण सत्य है। जानकारी अज्ञान पर आधारित नहीं है। मैं सत्य जानकारी मेरे द्वारा उपचार करने के लिए आवेदन निरस्त कर दिया जावे तथा यदि मेरी नियुक्ति की गई हो तो मेरी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावे।

दिनांक: स्थान:  हस्ताक्षर

(डॉ. सतीश शर्मा)  
सहायक संचालक  
आयुक्त